छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अधिसूचना संo. 57/2017- राज्य कर

नया रायपुर, दिनांक : 15.11.2017

क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच(169) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त की में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में आधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1) 1. 2. 3.	(2) जुलाई-सितंबर, 2017 अक्तूबर-दिसंबर, 2017 जनवरी-मार्च, 2018	(3) 31 दिसंबर, 2017 15 फरवरी, 2018 30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रिक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए.पी. त्रिपाठी)

Tripelli

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 15.11.2017

क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच (169), दिनांक 15.11.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Notification No. 57/2017-State Tax

Naya Raipur, 15th November, 2017

No. F-10- 93/2017/CT/V (169) - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31 st December, 2017
2	October - December, 2017	15 th February, 2018
3	January - March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(A.P. Tripathi) Special Secretary